कुरसं निम्न अधि० द्वारा संशो०
1. न्यायालय अवमान (संशो०) अधि०, 1976 (1976 का 45)

कहाँ तक अद्यतन है

1/7/2002

29/6/94

REGISTERED No. D. 221

रजिस्ट्री सं० डी० 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2—अनुभाग 1क

PART II—Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 63] नई दिल्ली, बुधवार, 24 सितम्बर, 1975/2 आश्विन, 1897 (शक) [खण्ड XI

No. 63] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 1975/ASVINA 2, 1897 (SAKA) [Vol. XI

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, September 24, 1975/*Asvina* 2, 1897 (*Saka*)

The following translation in Hindi of the Contempt of Courts Act, 1971, is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971

(1971 का अधिनियम सं० 70)

[1 सितम्बर, 1975 को यथाविद्यमान]

[24 सितम्बर 1971]

न्यायालयों के अवमान के लिए दण्डित करने के बारे में कुछ न्यायालयों की शक्तियों को परिनिश्चित और परिसीमित करने के लिए और उस सम्बन्ध में उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है:

परन्तु यह जम्मू-कश्मीर राज्य को वहां तक के सिवाय लागू नहीं होगा जहां तक इस अधिनियम के उपबंधों का सम्बन्ध उच्चतम न्यायालय के अवमान से है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "न्यायालय अवमान" से सिविल अवमान अथवा आपराधिक अवमान अभिप्रेत है;